(17)

सं0–   /XXVIII–5–2011–08 (सी0एम0)/2003

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांकः 15 मार्च, 2011

विषय– सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र काण्डा, जनपद बागेश्वर के अवशेष कार्यो हेतु धनराशि पुनर्विनियोजन के माध्यम से स्वीकृत किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–5प/8/3/2010–11/481, दिनांक 07.01.2011 तथा शासनादेश सं0–119/वि0–3/2004–08(सी0एम0)/2003, दिनांक 21.02.2004 एवं शासनादेश सं0–1091/XXVIII-5–2009–08(सी0एम0)/2003, दिनांक 05.11.2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र काण्डा, जनपद बागेश्वर हेतु अनुमोदित पुनरीक्षित लागत ₹ 177.77 लाख के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि ₹ 131.37 लाख के अतिरिक्त संलग्न बी0एम0–15 में अंकित विवरणानुसार बचतों से पुर्नविनियोजित के माध्यम से ₹46.40 लाख (रूपया छियालिस लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि अनुमोदित करते हुए निम्न प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– अवमुक्त की जा रही धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा क्षेत्रीय प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, उत्तराखण्ड को उपलब्ध करायी जायेगी।

2– धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व समुचित स्तर पर सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि सम्बन्धित योजना में मूल स्वीकृति की समयसीमा लागत, लक्षित परिणामों के अनुरूप प्रगति हो रही हो। धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व समुचित स्तर पर योजना के सम्बन्ध में सघन मूल्यांकन/परीक्षण किया जायेगा।

3– प्रत्येक कार्य पर धनराशि का व्यय, सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर, किया जायेगा तथा कार्य की अनुमोदित लागत तक ही रखा जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों एवं शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5– धनराशि उन्ही मदों पर व्यय की जाय जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है।

6– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

7– अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण व्यय इसी वित्तीय वर्ष में करते हुए वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

8– उक्त भवनों के कार्यो को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाय। विलम्ब के कारण आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

––2/––

9— कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

10— उक्त के संबंध में होने वाला व्यय आय—व्ययक वर्ष 2010—11 के अनुदान सं0—12 के लेखाशीर्षक —4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें—104—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, 0302—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण (विस्तार अंश) 00—आयोजनागत— 24—वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा तथा बी0एम0—15 के कॉलम—1 की बचतों से वहन किया जायेगा।

11— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0—1039(पी)/XXVII(1)/2011,दिनांक 05 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव

संख्या—475 (1)/XXVIII—5—2011—08(सी0एम0)/2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री ।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. आयुक्त कुमायूं मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
6. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
7. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/बागेश्वर।
8. मुख्य चिकित्साधिकारी बागेश्वर।
9. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ।
10. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0—3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
12. क्षेत्रीय प्रबन्धक, निर्माण ईकाई, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, उत्तराखण्ड।
13. गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव।

विभाग–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण बी0एम0–15 (वित्तीय वर्ष 2010–11)

प्रस्तर –158 अनुदान संख्या–12

नियंत्रक अधिकारी : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून। पुनर्विनियोजन का आवेदक पत्र (हजार रूपये में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण (मानक मद)	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में सम्भावित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिनमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है (मानक मद)	पुनर्विनियोजन के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुन–र्विनियोजन के बाद अवशेष धनराशि (1–5)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत 02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें– 110–अस्पताल तथा औषधालय 10–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उर्च्चीकरण 24–वृहत निर्माण कार्य 7916	0	3276	4640(क)	4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय आयोजनागत 02ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें, 104–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 03–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना 0302–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण (विस्तार अंश) 24–वृहद निर्माण कार्य 4640ख)	56724	3276	(क)– सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उर्च्चीकरण मद में चालू वित्तीय वर्ष में प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण बचत हुई हैं। (ख)– वित्तीय वर्ष 2010–11में संगत में प्राविधानित धनराशि कम पड़ने के कारण पुनर्विनियोजन की आवश्यकता हुई है।
योग 7916	0	3276	4640	4640	56724	3276	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुर्नविनियोजन में बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं सीमाओं का उल्लंघन नही होता है।

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त व्यय अनुभाग
संख्या– (P)/वित्त अनु0–3/2011
देहरादून: दिनांक: फरवरी , 2011
पुनर्विनियोजन स्वीकृत

(डॉ0 एम0सी0जोशी)
अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी)
देहरादून

संख्या-495 (1)/XXVIII–5–2011–08(सी0एम0)/2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड ।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 ।
4. गार्ड फाईल ।

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव।